प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 25.10.2025

- ❖ **अपराध एंव अपराधियों पर अंकुश लगाने में कानपुर देहात पुलिस की एक और कार्यवाही।**
- ❖ **थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के अपराध में प्रकाश में आये वांछित 02 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह-कारतूस व दो पहिया वाहन के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.10.2025 को वादी श्री अरविन्द कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 हृदयनारायण अवस्थी निवासी ग्राम नियुरी सेन पश्चिम पारा थाना सेन पश्चिम पारा जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना गजनेर पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 309/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1-गगन सिंह पुत्र स्व0 रणवीर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ररुआ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 2-राहुल संखवार पुत्र कमलेश कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गैजूमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हाल पता साहू बिल्डिंग किसरवल रोड थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 25.10.2025 को तरौंदा मोड़ थाना क्षेत्र गजनेर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गगन उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त की गयी मोटर साइकिल इंगनाइटर ड्रीम सेल्फ ब्लैक नम्बर UP 77 M 2518 बरामद हुई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1-गगन सिंह पुत्र स्व0 रणवीर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ररुआ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2-राहुल संखवार पुत्र कमलेश कुमार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गैजूमऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात हाल पता साहू बिल्डिंग किसरवल रोड कस्बा रनिया थाना रनिया कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त गगन सिंह पुत्र स्व0 रणवीर सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ररुआ थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात ने बताया कि करीब ढाई वर्ष पूर्व से मैं व मृतक गौरव

ए0डी0पी0एल0 बियर फैक्ट्री में काम करते थे। मेरा साथी गौरव अवस्थी उसी कम्पनी में सुपरवाइजर हो गया था और मैं लेबर क्लास में ही काम करता रहा। गौरव ने फैक्ट्री मालिक से मेरी शिकायत कर करीब दो ढाई माह पहले मुझे बियर फैक्ट्री की नौकरी से निकलवा दिया था तथा मेरे चचेरे भाई बउवा सिंह के यहाँ उठता बैठता था और उसकी बहन को कभी-कभी साथ ले जाता आता था। इन्हीं सब बातों से तभी से मेरे मन में गौरव के प्रति कुण्ठा हो गयी थी और मन ही मन मैंने उसी दौरान करीब दो माह पहले प्लान बना लिया था कि मैं इनको ठिकाने लगा दूँगा। मौके की तलाश करता रहा। गौरव मेरा पूर्व से परिचित होने के कारण मुझे उसके हर क्रिया कलाप की जानकारी थी और मुझे यह भी जानकारी थी कि मेरे चचेरे भाई बउआ सिंह के यहाँ प्रत्येक बड़े त्योहार में जाता था और बउआ सिंह की माँ से आशीर्वाद लेता था । मेरा घर बउवा सिंह के घर के पास है । दिनांक 20.10.2025 को दीपावली का त्योहार था। मैंने सोचा कि दीपावली का त्यौहार है, लोग अपने घरों मे त्यौहार मनाने एवं पटाखा जलाने में व्यस्त रहेगें, पटाखे की आवाज के कारण तमंचे के फायर को कोई समझ नहीं पायेगा । गौरव बउवा के यहाँ गया था। यह जानकारी होने पर मैंने अपने एक साथी राहुल शंखवार जो आर्थिक रूप से परेशान था, को साथ लेकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा आज मेरे साथ चलो। मैं अपने साथी राहुल को साथ लेकर समय करीब 08:00 बजे सरवनखेड़ा से रॉयल स्टेग की हाफ बोतल शराब लेकर तरौंदा मोड़ के पास खड़े होकर गौरव के आने का इन्तजार करने लगा कि समय करीब 10:00 बजे रात गौरव आ गया तो उसे रोककर नशेबाजी की गयी। मैंने स्टॉल/दुपट्टा ओढ़ रखा था । स्टॉल की आड़ में पहले से लोड तमंचा को कॉक किया और जैसे ही पैक लगाकर गिलास को गौरव ने मुँह में लगाया और आँख मूँदकर मुँह सा बनाने लगा कि तभी मैं सीने में नजदीक से गोली मार दी और अपने साथी राहुल को कहा कि तुम चलकर गाड़ी स्टार्ट करो। इतने में गौरव गोली लगने से जलन की वजह से हाथ से सीने को खींचने लगा। चूंकि मेरे द्वारा गोली मारने पर गौरव के शरीर में हलचल हो रही थी, मुझे शंका हुयी कि ये मरेगा नहीं बच जायेगा कि इतने में मैनें फिर तमंचा लोड कर सटाकर 03 गोली और मार दी। इस तरह से मैंने कुल 04 गोली मारी और शरीर में हलचल न होने व मरा समझ कर मैंने मोटरसाइकिल की तरफ जाकर मेरा साथी जो पहले से ही मोटर साइकिल स्टार्ट कर खड़ा था, पर बैठकर ग्राम रायपुर, शेरपुर तरौंदा, गोगूमऊ होते हुये गाँव के बाहर बबूल की झाड़ी में तमंचे को कपड़े से लपेट कर छिपा दिया था, और धीरु सिंह जो मेरा चचेरा भाई है, के यहाँ हम दोनों बरामदे में पड़े तख्त पर बिना किसी को बताये ही सो गये थे । मैंने यह तंमचा और 10 कारतूस औरैया जनपद से एक व्यक्ति से 10 हजार रुपये में खरीदा था ।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त किया गया 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त की गयी मोटर साइकिल इंगनाइटर ड्रीम सेल्फ ब्लैक नम्बर UP 77 M 2518 बरामद हुई।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस